राजधानी जागरण

तवारीखी तारीखों से होगी वीआईपी शिनाख्त पटनाए जागरण ब्यूरो : 1857 सिपाही विद्रोहए 1947ए स्वतंत्रता दिवसए 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के वर्ष हैं। आने वाले महीनों में वीआईपी गाड़ियों की पहचान इसी तरह के नंबर के आधार पर होगी। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष वाले अंक गाडियों में नंबर के स्थान पर दर्ज मिलेंगे। ऐतिहासिक महत्व के इन वर्षो को वीआईपी गाड़ियों से जोड़ने की परिकल्पना सामान्य प्रशासन विभाग की है। परिवहन विभाग से भी इसपर सहमति ले ली गयी है। इसके पीछे छोटा से अर्थ तंत्र भी जुड़ा है। अमूमन 0001एण्ण्0002 जैसे अंकों वाले गाड़ी के नंबरों से वीआईपी का भान होता है। कुछ वर्ष पूर्व परिवहन विभाग ने इसे कमाई का माध्यम बना लिया। 0001 नंबर के लिए 25000 रुपयेए 0002 से 0011 तक के पसंदीदा नंबर के लिए 15000 रुपये अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान किया गया। नियमित अंतराल पर सरकार अपने अधिकारियों के लिए नये वाहन का क्रय करती है। अधिकारी वीआईपी नंबर लेने की इच्छा जाहिर करते हैं। इसी का हवाला देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों व जिलाधिकारियों से कहा है कि सरकारी वाहनों के लिए वीआईपी नंबर हासिल करने में परेशानी होती है और अतिरिक्त राशि भी अदा करनी पड़ी है। ऐसे में वीआईपी नंबर के लिए अतिरिक्त राशि अदा करना सरकार-विभाग के लिए उचित नहीं होगा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि सरकारी वाहनों विशेषकर जिला प्रशासन के वाहनों में वीआईपी नंबर के महत्व से इनकार नहीं क्योंकि इन वाहनों की अलग पहचान होती है। इस आलोक में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों को गाड़ी के नंबर के रूप में इस्तेमाल की सलाह दी है। 1857 सिपाही विद्रोह-स्वतंत्रता संग्राम की हपली लड़ाईए 1869 महात्मा गांधी का जन्म दिनए 1905 स्वदेशी आंदोलनए 1917 चंपारण सत्याग्रहए 1920 असहयोग आंदोलनए 1930 दांडी मार्चए 1942 भारत छोड़ो आंदोलनए 1947 स्वाधीनता दिवसए 1950 गणतंत्र दिवस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी तिथियों को वाहन नंबर के रूप इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।